प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक-10.01.2026

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी मार्ग पर नहर के किनारे पटरी से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह उ0नि0 जावेद अहमद व का0 नीरज पटेल व का० अरविन्द कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी मार्ग पर नहर के किनारे पटरी से अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त, मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र नरसिंह नारायण पाण्डेय उर्फ भोला निवासी ग्राम पूरे वंशीधर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को उनके कब्जे से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 06/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र नरसिंह नारायण पाण्डेय उर्फ भोला निवासी ग्राम पूरे वंशीधर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0- 48/23 धारा 286/427/504/506 भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
2- मु0अ0सं0-61/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।
3- मु0अ0सं0- 06/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह उ0नि0 जावेद अहमद व का0 नीरज पटेल व का० अरविन्द कुमार थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
जबरन वसूली व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -
अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजमतिपुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा खेत में जाली लगवाने के दौरान आरोपीगणों द्वारा ₹10 लाख की रंगदारी मांगी गई और हत्या की धमकी दी गई। जान-माल के भय से प्रार्थी ने ₹3,20,000/- दिए, परंतु दिनांक 18.11.2025 को पुनः शेष ₹6,80,000/- की मांग करते हुए गाली-गलौज व धमकी दी गई। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0-218/2025 धारा 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 कुलदीप पाल, म0का0 गुन्चा सनोबर व म0का0 श्वेता दीक्षित द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त, चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व0 शम्भूशरण सिंह निवासी ग्राम राजमतिपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजमतिपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व0 शम्भूशरण सिंह निवासी ग्राम राजमतिपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 कुलदीप पाल, म0का0 गुन्चा सनोबर व म0का0 श्वेता दीक्षित थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना पट्टी पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 570 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 650/-रु0 नगद के साथ के साथ 01 अभियुक्त संतोष सिंह व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त व अभियुक्ता को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी चांदा रोड नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव, म0उ0नि0 ज्योति सविता व का0 अभिषेक यादव, का0 ब्रजेश यादव, का0 विजय प्रकाश, का0 हरिकेश पाल व म0का0 खुशबू शाहू द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी चांदा रोड नहर पटरी के पास से 01 अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष व 01 अभियुक्ता के कब्जे से कुल 01 किलो 570 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 650/-रु0 नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-
01- संतोष सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।
02- अंजू सिंह पत्नी संतोष सिंह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।
01. मु0अ0सं0 121/2004, धारा 323/324/504/506 भा०द०वि०, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 16/2017, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 180/2017, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 171/2019, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 399/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 36/2022, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 37/2022, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 01 किलो 570 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 650/-रु0 नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव, म0उ0नि0 ज्योति सविता व का0 अभिषेक यादव, का0 ब्रजेश यादव, का0 विजय प्रकाश, का0 हरिकेश पाल व म0का0 खुशबू शाहू थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.11.2025 को वादी की पुत्री से दहेज की मांग को लेकर आरोपीगणों द्वारा गला दबाकर हत्या कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 283/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में म0उ0नि0 आकांक्षा वर्मा व उ0नि0 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह म0का0 निरुपमा मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 283/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण- 01 अभियुक्ता

पुलिस टीम- म0उ0नि0 आकांक्षा वर्मा व उ0नि0 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह म0का0 निरुपमा मौर्या थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।